न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2024/2308 दिनांक 26/07/24

प्रार्थीनी:-

1.साहोल पत्नि हुसैन खान, जाति मुसलमान
निवासी बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन
जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1.मोहनदान पुत्र रतनदान, जाति चारण
2.वीरा पुत्र अनोपाराम 3.कुन्डा पुत्र प्रेमाराम
4.मघी पत्नि पूंजाराम, जाति मेघवाल
निवासी बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन
5.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 132/2022 दिनांक : **26.07.2024**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बूठ राठोड़ान के मौजा अली की बस्ती के खेत खसरा सं. **125 रकबा 01.7482 हैक्टेयर,** खसरा सं. **127 रकबा 13.9616 हैक्टेयर,** भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे |

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
(उपखण्ड अधिकारी चौहटन)
दिनांक 26/07/24

(उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन)

क्रमांक/भू.अ./2024/2309 to 2312

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीनी साहोल
3. विप्रार्थीगण मोहनदान वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

Signature Not Verified

Digitally signed by Suraj Bhan Vishnoi
Date: 2024.08.20 11:19:45 IST
Reason: SelfAttested

(सूरजभान विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
(उपखण्ड अधिकारी चौहटन)